XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.2648—एक / 15 जिला—श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—8—15	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभि. उप. । अना. क.1 शासन की ओर से श्री डी.के.शुक्ला शास. अभि. उप। उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया । प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ सदस्य	
1—9—15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक आर. 1137—अध्यक्ष / 04 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक —एक / 2015 रेस्टोरेशन

रेस्टो 2648-2115

ग्राम पंचायत विजरपुर तहसील व जिला— श्योपुर

द्वारा— सरपंच ——————आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. नंशाराम पुत्र मथुरालाल मीना
   निवासी ग्राम— विचगावडी तहसील व
   जिला—श्योपुर ———— अनावेदकगण

मुकेश बेलापुरकर एड० ए
17/8/2015 को

17-8-15

प्रकरण क्रमांक 1137—पी0बी0आर0 / 2004 पुनरीक्षण के पुनः स्थापन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्व मण्डल के नियमों के नियम 9 .

महोदय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है—

1. यह कि, आवेदक संस्था द्वारा ग्राम की सार्वजनिक निस्तार की भूमि के संरक्षण हेतु अपर आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5—8—2015 को आवेदक के एवं अनावेदकगण के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण करने के पश्चात प्रकरण आदेश हेतु रख लिया था.
2. यह कि, दिनांक 11—08—2015 को अन्य प्रकरणों में आदेश की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को माननीय न्यायालय द्वारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिया गया है.
3. यह कि, नियत दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकरणों में उपस्थित हुए थें तथा उपरोक्त प्रकरण में बहस भी की गयी किन्तु सम्भवतः त्रुटिवश आवेदक की अनुपस्थिति दर्शाकर प्रकरण निरस्त हो गया है. उक्त त्रुटि भूल का परिणाम है.जिसे सुधारकर आवेदक के प्रकरण को पुनःस्थापित कर सुनवायी किया जाना न्यायोचित एवं न्यायहित में आवश्यक है.

अतएव प्रार्थना है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पुनरीक्षण प्रकरण कमांक1137—पी0बी0आर0 / 2004 को पुनःस्थापित किये जाने तथा प्रकरण के गुणदोषों पर निराकरण किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये.

इति दिनांक—17—08—2015

आवेदक

द्वारा— अधिवक्ता

(हस्ताक्षर)